



थाना लोनी बोर्डर पुलिस व आबकारी विभाग टीम द्वारा शराब बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को मय 160 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान आबकारी टीम सेक्टर 3 गा0बाद की टीम व थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मिलकर आज दिनांक 16.12.2020 को मुखबिर खास की सूचना पर समय करीब 16.05 बजे राधा विहार से एक अभियुक्त आशू s/o सुनिल निवासी गली न0 7 राधा विहार थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को मय 160 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया ।

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं हरियाणा से सस्ते दामों में देशी शराब खरीदकर यहाँ आकर चलते-फिरते लोगों को बेच देता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

आशू s/o सुनिल निवासी गली न0 7 राधा विहार थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

अभियुक्त आशू का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 1044/2020 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

अभियुक्ता से बरामदगी का विवरण-

160 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का



थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ऑटो

व मोटर साईकिल के पार्टस बरामद

कार्यवाही:- श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं वाँछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में चैकिंग के दौरान थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 शातिर किस्म के वाहन चोर दिनेश कुमार पुत्र राजवीर निवासी कच्चा बलराम नगर थाना लोनी गा0बाद को मय चोरी का 01 आटो रजि0 नम्बर UP 14 FT 2310 थाना हाजा के मु0अ0सं0 1014/2020 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित व एक मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नंबर UP25CN 2025 व चेचिस नंबर mblhar089kha43009 व ई न0 HA10AGKHA89074 पार्टस के साथ लोनी इण्टर कालेज के पास से दिनांक 16.12.20 को गिरफ्तार किया गया। जिसका एक साथी संदीप नाम का वाहन चोर मौके से फरार है। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास

1. दिनेश कुमार पुत्र राजवीर निवासी कच्चा बलराम नगर थाना लोनी गा0बाद उम्र 29 वर्ष
1. मु0अ0सं0 1014/2020 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी गा0बाद
2. मु0अ0सं0 1081/2020 धारा 411/414 भादवि थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण

1. एक चोरी का आटो रजि0 नम्बर UP 14 FT 2310 बरामद ।
2. एक मोटर साईकिल रजि0नं0 UP25CN 2025 व चेचिस नंबर mblhar089kha43009 ई0न0 HA10AGKHA89074 के मोटर्स पार्टस बरामद ।



**साईबर काइम सैल गाजियाबाद व कोतवाली नगर पुलिस
द्वारा फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करोड़ों की ठगी कर चुके
09 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**

अनावरण:- थाना लिंकरोड क्षेत्र की रहने वाली शिकायतकर्ता जिनके साथ पॉलिसी के नाम लगभग 17 लाख रुपये की ठगी हुई थी, के प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में साईबर काइम सैल गाजियाबाद द्वारा जांच की गयी। जांच के दौरान आवेदिका से ठगों द्वारा लगभग पिछले 02-03 माह से पॉलिसी लैप्स के नाम पर लगभग 17 लाख रुपये विभिन्न नम्बरों से कॉल करके विभिन्न खातों में जमा कराये गये, जिनकी जांच की गयी, तो दिनांक 16.12.2020 को मुखबिर की सूचना पर समय लगभग 23.55 बजे नया बस अड्डा पेट्रोल पम्प के सामने से 09 अभियुक्तों 1. आमिर पुत्र मौहम्मद फारूख आदि को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक मारुती बैलेनों कार नं0-कस5बक 8322 , 16 अदद मोबाईल, आधार कार्ड, 05 चैक बुक, 02 अदद कम्प्यूटर आदि बरामद किया गया। उपरोक्त धोखाधडी के संबंध में थाना लिंकरोड पर मु0अ0सं0-393/20 धारा- 406, 420, 120बी एवं 34 भादवि पंजीकृत है।

अपराध करने का तरीका :- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग कॉल सेंटर, कम्पनियों के पुराने कर्मचारियों से एवं इंटरनेट से डेटा लेकर लोगों को कॉल कर लोन, पॉलिसी रिन्यू/लैप्स एवं कमीशन दिलाने के नाम पर ठगी करते हैं और ठगी का पैसा फर्जी बैंक खातों में डलवाकर कैश निकाल लेते हैं। ठगी का रूपया मिलने के उपरांत जिस नम्बर से कॉल करते हैं, उस मोबाईल एवं सिम कार्ड को तोड़ कर फेंक देते हैं। कॉल सेंटर के मालिक आमिर, अरूण गुलाटी हैं। फर्जी बैंक खातों का काम शिवम त्यागी का है, जो किसी अलग-अलग व्यक्तियों (पुष्पा, नीरज आदि) के आधार कार्डों पर उनके पते बदलवाकर बैंक खाते खुलवाया करता। सिम कार्ड, मोबाईल फोन एवं डेटा उपलब्ध कराने का काम अमित उर्फ मोनू, कमल शर्मा का है। और अन्य विपिन, अनुराग त्यागी, हिमांशु त्यागी एवं नमित का काम कॉल करने का है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अन्य सैकड़ों लोगों को कॉल करके अब तक लगभग करोड़ रुपयों की ठगी की गयी है। अन्य खातों की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. आमिर पुत्र मौ0 फारूख नि0-बी, 518 गली नं0-2/3 राजीव नगर मण्डोली दिल्ली

2. अरुण गुलाटी पुत्र मनमोहन गुलाटी नि०-बी-113 गली नं०-7 बैंक कालौनी हर्ष विहार दिल्ली।
3. अमित उर्फ मोनू पुत्र मूलचन्द शर्मा नि०-डी 416 गगन विहार भौपुरा गाजियाबाद।
4. नमित पुत्र हंसराज नि०-150ए, ओल्ड डीडीए जनता फ्लैट चिल्ला विलेज, मयूर विहार दिल्ली।
5. शिवम त्यागो पुत्र निरंकार त्यागी नि०-नावला मंसूरपुर मुजफ्फरनगर।
6. कमल शर्मा पुत्र मूलचन्द शर्मा नि०-डी 416 गगन विहार भौपुरा गाजियाबाद।
7. विपिन पुत्र विजय कुमार नि०-ए2/189 नियर 212 बैस स्टैण्ड नंदनगरी दिल्ली।
8. अनुराग त्यागी पुत्र राजकुमार त्यागी नि०-तलहेडी देवबंद सहारनपुर।
9. हिमांशु पुत्र अनिल त्यागी नि०- नावला मंसूरपुर मुजफ्फरनगर।

फरार अभियुक्त :- 1. पुष्पा पता अज्ञात।
2. नीरज पता अज्ञात

बरामदगी:-

1. मारुती बैलेनों कार नं०-क्स५ब्क 8322 ,
2. 16 अदद मोबाईल,
3. आधार कार्ड,
4. 05 चैक बुक,
5. 02 अदद कम्प्यूटर आदि बरामद किया गया।



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 1 अदद

नाजायज चाकू बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक: 17.12.2020 को समय 00.40 बजे 80 फुटा रोड कृष्णा जूस कार्नर के पास शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से **अभि0 लाल बहादुर पुत्र चन्द्र बहादुर नि0 ए 1386 बी ब्लॉक मुखर्जी नगर दिल्ली उम्र 25 वर्ष** को मय अवैध 1 चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 लालबहादुर उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मेरे पास चाकू है , अभि0 लाल बहादुर उपरोक्त से चाकू रखने के लाईसेंस के बारे में पूछा तो नहीं है जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 1506/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम लालबहादुर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. लाल बहादुर पुत्र चन्द्र बाहदुर नि0 ए 1386 बी ब्लॉक मुखर्जी नगर दिल्ली उम्र 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1.मु0अ0स0 1506/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम लाल बहादुर उपरोक्त

बरामदगी का विवरण:-

1 अदद चाकू अवैध



**थाना खोडा पुलिस द्वारा 04 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कुल 160 ग्राम अवैध
स्मैक बरामद**

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक खोडा के कुशल नेतृत्व में एनसीआर क्षेत्र में अवैध स्मैक बेचने वाले लोगो के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दौरान दिनांक 16.12.2020 समय 23.05 बजे दिन में घटनास्थल एनसीआर अस्पताल सर्विस रोड खोडा कालोनी थाना खोडा चौकी क्षेत्र लौधी चौक थाना खोडा क्षेत्र से 04 नफर अभियुक्तगण को 160 ग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. आदिल उर्फ कादिर पुत्र मजहर अली नि0 मौहल्ला कमाल खाँ नियर मदीना मस्जिद बडवाली गली थाना साहगंज आगरा
2. वसीम पुत्र बसीर नि0 जाटवपुरी मौहल्ला थाना रामगढ जिला फिराजाबाद
3. मौहम्मद रिजवान पुत्र मो0 इकराम नि0 लालमन चौराहा फिरोजाबाद थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद
4. इमरान पुत्र हमीद नि0 मौहल्ला थाना रामगढ लौहारवाली गली जिला फिराजाबाद

अपराध करने का तरीका:- अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो एनसीआर व दिल्ली क्षेत्र में घूम फिरकर अवैध स्मैक की बिक्री करते है ।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्तगण के कब्जे से 160 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होना

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त आदिल उर्फ कादिर का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	681/20	8/21 एनडीपीएस एक्ट	खोडा	गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त मौहम्मद रिजवान का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	682/20	8/21 एनडीपीएस एक्ट	खोडा	गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त वसीम का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	683/20	8/21 एनडीपीएस एक्ट	खोडा	गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त इमरान का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	684/20	8/21 एनडीपीएस एक्ट	खोडा	गाजियाबाद



थाना कविनगर द्वारा 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 150

ग्राम नशीला पाउडर बरामद

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 17.12.20 को डीपीएस फाटक के पास नया रेलवे स्टेशन थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभियुक्त (1) गौरव सिंह पुत्र मुनेन्द्र सिंह निवासी ई 578 नंदग्राम डबल टंकी के पास थाना सिहानीगेट गाजियाबाद व (2) गिरीश चन्द्र शर्मा पुत्र कान्ती प्रसाद शर्मा निवासी बी 306ए नंदग्राम थाना सिहानीगेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अलग अलग कुल 150 ग्राम नशीला पाउडर (एल्प्रोजोलम) नाजायज बरामद हुआ है अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना कविनगर पर क्रमश मु०अ०सं० 1735/20 धारा 8/21 NDPS ACT व मु०अ०सं० 1736/20 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:- अभियुक्त गण शातिर किस्म के नशीले पाउडर तस्कर हैं जो थाना कविनगर क्षेत्र में नशीले पाउडर का विक्रय कर नशे का कारोबार करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

(1) गौरव सिंह पुत्र मुनेन्द्र सिंह निवासी ई 578 नंदग्राम डबल टंकी के पास थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष शिक्षा B.tech I

(2) गिरीश चन्द्र शर्मा पुत्र कान्ती प्रसाद शर्मा निवासी बी 306ए नंदग्राम थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष शिक्षा 12 वी पास I

बरामदगी का विवरण -

150 ग्राम नशीला पाउडर (एल्प्रोजोलम) नाजायज

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1-मु0अ0सं0 1735/20 धारा 8/21 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद बनाम गौरव

2-मु0अ0सं0 1736/20 धारा 8/21 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद बनाम गिरीश चन्द्र शर्मा

अभियुक्त गण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त, कब्जे 146 पच्चे अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक खोडा के कुशल नेतृत्व में एनसीआर क्षेत्र में अवैध देशी शराब बेचने वाले लोगों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दौरान दिनांक 16.12.2020 समय 16.35 बजे दिन में घटनास्थल गज्जी भाटी गेट खोडा कालोनी थाना खोडा चौकी क्षेत्र बीरबल थाना खोडा क्षेत्र से 01 नफर अभि0 को 146 पच्चे अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

नीरज कुमार पुत्र मोहन लाल उम्र 43 वर्ष नि० सी 66 संगम पार्क खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद

अपराध करने का तरीका:- अभियुक्त उपरोक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो एनसीआर व दिल्ली क्षेत्र में घूम फिरकर अवैध शराब की बिक्री करता है।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्त के कब्जे से 146 पक्के अवैध देशी शराब बरामद होना

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त नीरज कुमार का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	679/20	60/63आबकारी अधि०	खोडा	गाजियाबाद



थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा गैंगस्टर मे वांछित चल रहे 01 नफर अभि० को 600 ग्राम गांजा सहित चैकिंग अभियान के दौरान किया गिरफ्तार

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्णगोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि० 17.12.20 को समय 00.30 बजे थाना कविनगर के मु०अ०सं० 1844/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम मे वांछित 1 नफर अभि० राजकुमार उर्फ काले पुत्र ओमप्रकाश नि० म०न० 20 गली नं० 01 तीस फुटा रोड दीनदयालपुरी नन्दग्राम थाना सिहानी गेट जनपद गा०बाद को तीस फुटा रोड शनि मंदिर की दीवार के पीछे नन्दग्राम थाना सिहानीगेट गाजियाबाद से मय 600 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- दिनांक 16/17.12.20 को चैकिंग अभियान के दौरान थाना सिहानीगेट पुलिस टीम गश्त करते हुए नन्दग्राम मे आश्रम रोड पहुचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर शनि मन्दिर की दीवार के पीछे छुपने लगा पुलिस टीम को शक होने पर एक बारगी दबिश देकर अभि0 राजकुमार उर्फ काले पुत्र ओमप्रकाश नि0 म0न0 20 गली नं0 01 तीस फुटा रोड दीनदयालपुरी नन्दग्राम थाना सिहानी गेट जनपद गा0बाद को नन्दग्राम मे आश्रम रोड शनि मन्दिर की दीवार के पीछे से पकड लिया जामा तलाशी से अभि0 के हाथ मे लिए पालीथीन से 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ पुछताछ पर अभि0 थाना कविनगर के मु0अ0स0 1844/20 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम मे वांछित पाया गया अतः अभि0 को बाद बताकर कारण गिरफ्तारी हस्बकायदा समय 00.30 बजे रात्रि गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

राजकुमार उर्फ काले पुत्र ओमप्रकाश नि0 म0न0 20 गली नं0 01 तीस फुटा रोड दीनदयालपुरी नन्दग्राम थाना सिहानी गेट जनपद गा0बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1.मु0अ0स0 1844/20 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना कविनगर गाजियाबाद
- 2.मु0अ0स0 1964/20 धारा 8/20 NDPS ACT

बरामदगी-

600 ग्राम गांजा नाजायज



थाना मसूरी पुलिस द्वारा 04 शातिर चोर गिरफ्तार, 10 लोहे के फर्मे वजन करीब 300 किलो ग्राम बरामद

कार्यवाही - श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे आप्रेशन ABC के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईराज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री महिपाल सिंह के पर्यवेक्षण में दि० 17.12.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री राघवेन्द्र सिंह थाना मसूरी गा०बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर उ०नि०पंकज कुमार मय फोर्स द्वारा 04 नफर अभियुक्त 1.प्रवीण पुत्र देशराज 02-पंकज पुत्र धर्म सिंह 03- सोहनवीर पुत्र राजू निवासीगण ग्राम बयाना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद 04-रोहित पुत्र कैलाश निवासी ग्राम काजीपुरा थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को चोरी की 10 अदद लोहे की फर्मे सहित कुल 300 कि०ग्राम दिनांक 17.12.2020 समय 6.40 बजे सैक्टर 01 वेवसिटी मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसूरी पर मु०अ०सं० 654/20 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका - अभियुक्तगण द्वारा निर्माणाधीन मकानो से लोहे के फर्मे चोरी किये थे जिन्हे अभियुक्तगण उपरोक्त चोरी किये माल को बेचकर आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करते हैं। अभियुक्तगण उपरोक्त को दिनांक 17.12.2020 को समय करीब 06.40 बजे मुखबीर की सूचना पर सैक्टर 01 बेवसिटी मन्दिर के पास से उ०नि० श्री पंकज कुमार द्वारा मय 10 अदद फर्मे सहित गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त -

- 1.प्रवीण पुत्र देशराज निवासी ग्राम बयाना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद
- 02-पंकज पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम बयाना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद
- 03- सोहनवीर पुत्र राजू निवासी ग्राम बयाना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद
- 04-रोहित पुत्र कैलाश निवासी ग्राम काजीपुरा थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. 10 अदद लोहे के फर्मे कुल बजन 300 किलो

अपराधिक इतिहास

- 01 मु०अ०सं० 654/20 धारा 380/411 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद
- 02-मु०अ०सं० 200/2020 धारा 4/25 ए.एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद **बनाम पंकज कुमार**
- 03- मु०अ०सं० 201/2020 धारा 4/25 ए.एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद **बनाम सोहनवीर**

